



कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, 224

झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- addlpccfdevelopment@gmail.com

Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक :- 01/यो0ब0-45/2015(खण्ड-4)-680

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग/हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग/ चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा/चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा/कोडरमा वन प्रमंडल, कोडरमा/बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो/रामगढ़ वन प्रमंडल, रामगढ़/धनबाद वन प्रमंडल, धनबाद/गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल, गिरिडीह/गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिडीह/ गढ़वा उत्तरी वन प्रमंडल, गढ़वा/गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल, गढ़वा/ मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर/ देवघर वन प्रमंडल, देवघर/ वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमंडल, देवघर/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, हजारीबाग/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, कोडरमा/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, गढ़वा।

दिनांक :-16/05/2016

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण (पुराना नाम पथतट रोपण-सह-शहरी वानिकी योजना) (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत बाँस गैबियन से वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) के लिए 256.198 लाख (दो करोड़ छप्पन लाख उनीस हजार आठ सौ) रुपये मात्र का ऑन-लाईन उप आवंटन के संबंध में।

प्रसंग :-

वन विभागीय स्वीकृतिदेश संख्या-7/यो0बजट-72/2015-40/ स्वी0 व0प0 दिनांक 09.10.2015 एवं आवंटन आदेश संख्या-04/यो0बजट-72/2015-15/आ0 व0प0 दिनांक 22.04.2016।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जानेवाली अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण (पुराना नाम पथतट रोपण-सह-शहरी वानिकी योजना) (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत बाँस गैबियन वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) के लिए कुल 256.198 लाख (दो करोड़ छप्पन लाख उनीस हजार आठ सौ) रुपये मात्र की ऑन-लाईन उप आवंटन की स्वीकृति दी जाती है।

2. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध निम्न प्रकार लघुशीर्ष/इकाईवार राशि आवंटित किया जाता है :-

| क्र० सं० | शीर्ष का नाम | प्राथमिक इकाई | विपत्र कोड | आवंटित राशि |
|-----------------|--|---------------------|--------------------|-------------|
| 1 | 2406— वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष—01 वानिकी, लघु शीर्ष— 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष—59—अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण योजना | मजदूरी | 19P240601789590103 | 194.531 |
| | | आपूर्ति एवं सामग्री | 19P240601789590323 | 61.667 |
| कुल आवंटित राशि | | | | 256.198 |


अर्थात् कुल 256.198 लाख (दो करोड़ छप्पन लाख उनीस हजार आठ सौ) रुपये मात्र राशि आवंटित की जाती है। ऑन-लाईन उप आवंटन की प्रति संलग्न है।

3. वर्तमान आवंटित राशि 256.198 लाख (दो करोड़ छप्पन लाख उनीस हजार आठ सौ) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन है तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जानेवाली “ अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण (पुराना नाम पथतट रोपण-सह-शहरी वानिकी योजना)” (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) बजट मुख्य शीर्ष 2406- वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष- 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-59-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण योजना अन्तर्गत विकलनीय होगा।

5. न्यूनतम मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए निर्धारित अद्यतन दरों पर किया जाएगा। वन प्रमंडलों द्वारा स्थल विशेष प्राक्कलन श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित अद्यतन न्यूनतम मजदूरी दर एवं विभागीय कार्य दरों पर तैयार किया जाएगा तथा प्राक्कलन पर वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 564 दिनांक 18.02.2008 के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम वन पदाधिकारियों द्वारा प्रदान की जाएगी। किसी भी एक सड़क या एक कैम्पस में रोपित होने वाले बाँस गैबियन को एक योजना माना जायेगा तथा पूर्ण योजना चार वर्षीय होगी जिसका सम्पोषण कार्य तृतीय वर्ष अंश होगा।

6. तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त स्थल विशेष योजनाएँ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रसार वानिकी द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय में समर्पित करने के उपरान्त ही आवंटित राशि व्यय की जाएगी तथा तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन की गयी राशि तक व्यय सीमित रखी जायेगी।

7. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक को अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।



8. वर्तमान में राशि का उप आवंटन प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति एवं आवंटन के अनुरूप किया जा रहा है, परन्तु राशि का भुगतान संलग्न कार्य दर के अनुरूप किया जाएगा। शेष राशि अलग से उप आवंटित की जाएगी।

9 इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची होंगे, नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जाएगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्रक पदाधिकारियों एवं संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।

10. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास द्वारा योजनान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्री पदाधिकारियों यथा वन संरक्षक एवं संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रसार वानिकी द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा तथा निरीक्षण प्रतिवेदन नियमित रूप से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने अधीनस्थों एवं नियंत्री पदाधिकारियों को समर्पित करेंगे। एक प्रति कार्यालय अभिलेख हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास को समर्पित करेंगे।

11. स्थल विवरणी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास द्वारा अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात ही उप आवंटन राशि का व्यय किया जाएगा।

12. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद् संबंधी-पत्र- परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

13. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा कोषागार संहिता के नियम - 300 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक किया जायेगा।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उनके लिए निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का विचलन न हों।

15 निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

16. मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार का कार्यालय ज्ञाप संख्या 3037 दिनांक 02.05.2012 द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में बिना पथ निर्माण विभाग की अनुमति के उनके स्वामित्व/नियंत्रणाधीन पथों पर वृक्षारोपण की कार्रवाई नहीं की जाएगी। योजना कार्यान्वयन के पूर्व संबंधित भू-स्वामित्व/नियंत्रणाधीन से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही राशि का व्यय किया जाएगा।

17. शहरों में सड़कों के किनारे एक सड़क पर सामान्यतः एक प्रजाति को पौधों का रोपण किया जाय, बाँस गैबियन पर गैबियन संख्या अंकित की जाएगी, बाँस गैबियन में प्रकाष्ठ प्रजाति, फलदार एवं शोभाकार पौधों का रोपण किया जाएगा, प्रत्येक ग्राम के निकट पथ के दोनों तरफ कम से कम 50 फलदार पौधों का रोपण किया जाएगा एवं पौधों का क्रय विभागीय पौधशालाओं से करने को प्राथमिकता दी जाय।

18. बाँस गैबियन में कम से कम पाँच फीट औसत ऊँचाई के काष्ठ, फल एवं शोभादार वृक्षों का रोपण किया जाएगा तथा वृक्षारोपण योजना के समापन वर्ष में औसत 8 फीट, सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) के अन्त में औसत 11 फीट एवं चतुर्थ वर्ष (द्वितीय सम्पोषण कार्य) में 15 फीट औसत ऊँचाई प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा। पौधों का क्रय विभागीय लम्बे पौधों की नर्सरी से किया जाएगा।

18. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

19. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का संपादन विभागीय अधिसूचना संख्या-2371 दिनांक-05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनांतर्गत किये जानेवाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना संख्या-2371 दिनांक-05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

20. तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त स्थल विशेष योजनाएं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय में समर्पित करने के उपरांत ही आवंटित राशि व्यय की जाएगी।



21. रोपित पौधों/वृक्षों में जीवित पौधों की आवश्यकतानुसार जाँच/सत्यापन असम्बद्ध प्रमंडल से कराई जाएगी।

22. मजदूरों का भुगतान श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित अद्यतन न्यूनतम मजदूरी दर के अनुरूप किया जाएगा।

23. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अन्तर्गत मजदूरी मद में मजदूरों का भुगतान की जानेवाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/झाकघर खाते के माध्यम से ही किया जाएगा।


24. इस योजना के अन्तर्गत किये गये वन प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुलग्नक-1, कार्यदर अनुलग्नक-2 एवं ऑन-लाईन उप आवंटन अनुलग्नक-3 पर संलग्न है।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।




17. शहरों में सड़कों के किनारे एक सड़क पर सामान्यतः एक प्रजाति को पौधों का रोपण किया जाय, बाँस गैबियन पर गैबियन संख्या अंकित की जाएगी, बाँस गैबियन में प्रकाष्ठ प्रजाति, फलदार एवं शोभाकार पौधों का रोपण किया जाएगा, प्रत्येक ग्राम के निकट पथ के दोनों तरफ कम से कम 50 फलदार पौधों का रोपण किया जाएगा एवं पौधों का क्रय विभागीय पौधशालाओं से करने को प्राथमिकता दी जाय।
18. बाँस गैबियन में कम से कम पाँच फीट औसत ऊँचाई के काष्ठ, फल एवं शोभादार वृक्षों का रोपण किया जाएगा तथा वृक्षारोपण योजना के समापन वर्ष में औसत 8 फीट, सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) के अन्त में औसत 11 फीट एवं चतुर्थ वर्ष (द्वितीय सम्पोषण कार्य) में 15 फीट औसत ऊँचाई प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा। पौधों का क्रय विभागीय लम्बे पौधों की नर्सरी से किया जाएगा।
18. नियंत्रि तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।
19. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का संपादन विभागीय अधिसूचना संख्या-2371 दिनांक-05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जानेवाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना संख्या-2371 दिनांक-05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्रि पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।
20. तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त स्थल विशेष योजनाएँ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय में समर्पित करने के उपरांत ही आवंटित राशि व्यय की जाएगी।
21. रोपित पौधों/वृक्षों में जीवित पौधों की आवश्यकतानुसार जाँच/सत्यापन असम्बद्ध प्रमंडल से कराई जाएगी।
22. मजदूरों का भुगतान श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित अद्यतन न्यूनतम मजदूरी दर के अनुरूप किया जाएगा।
23. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अन्तर्गत मजदूरी मद में मजदूरों का भुगतान की जानेवाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जाएगा।
24. इस योजना के अन्तर्गत किये गये वन प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुलग्नक-1, कार्यदर अनुलग्नक-2 एवं ऑन-लाईन उप आवंटन अनुलग्नक-3 पर संलग्न है।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन,

 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
 झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :-01/यो0ब0-45/2015(खण्ड-4)-680 राँची, दिनांक :- 16.05.2016

प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, संधाल परगना, दुमका/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू, हजारीबाग/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, मेदिनीनगर, पलामू/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गढ़वा/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।


ज्ञापांक :-01/यो0ब0-45/2015(खण्ड-4)-680 राँची, दिनांक :- 16.05.2016


प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, संथाल परगना, दुमका/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू, हजारीबाग/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, मेदिनीनगर, पलामू/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गढ़वा/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :-01/यो0ब0-45/2015(खण्ड-4)-680 राँची, दिनांक :- 16.05.2016


प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, हजारीबाग/कोषागार पदाधिकारी, चतरा/कोषागार पदाधिकारी, कोडरमा/कोषागार पदाधिकारी, बोकारो/कोषागार पदाधिकारी, रामगढ़/कोषागार पदाधिकारी, धनबाद/कोषागार पदाधिकारी, गिरिडीह/कोषागार पदाधिकारी, गढ़वा/कोषागार पदाधिकारी, मेदिनीनगर, पलामू/कोषागार पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण (पुराना नाम पथट रोपण-सह-शहरी वानिकी योजना) के अंतर्गत बाँस गैबियन से वृक्षारोपण का समापन कार्य का प्रमण्डलवार स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

| क्र. सं. | कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम | गैबियन संख्या में | वित्तीय वर्ष 2016-17 | | |
|----------|---------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------|
| | | | मजदूरी | आपूर्ति एवं सामग्री | कुल राशि |
| i | ii | iii | iv | v | vi |
| 1 | हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग | 4219 | 12.178 | 3.860 | 16.038 |
| 2 | हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग | 4219 | 12.178 | 3.860 | 16.038 |
| 3 | चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा | 3589 | 10.359 | 3.284 | 13.643 |
| 4 | चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा | 3589 | 10.359 | 3.284 | 13.643 |
| 5 | कोडरमा वन प्रमंडल, कोडरमा | 3589 | 10.359 | 3.284 | 13.643 |
| 6 | बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो | 4219 | 12.178 | 3.860 | 16.038 |
| 7 | रामगढ़ वन प्रमंडल, रामगढ़ | 4219 | 12.178 | 3.860 | 16.038 |
| 8 | धनबाद वन प्रमंडल, धनबाद | 4219 | 12.178 | 3.860 | 16.038 |
| 9 | गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल, गिरिडीह | 4219 | 12.178 | 3.860 | 16.038 |
| 10 | गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिडीह | 4108 | 11.857 | 3.759 | 15.616 |
| 11 | गढ़वा उत्तरी वन प्रमंडल, गढ़वा | 2030 | 5.858 | 1.857 | 7.715 |
| 12 | गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल, गढ़वा | 2644 | 7.631 | 2.419 | 10.050 |
| 13 | मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर | 3841 | 11.087 | 3.515 | 14.602 |
| 14 | देवघर वन प्रमंडल, देवघर | 3841 | 11.087 | 3.515 | 14.602 |
| 15 | साठवाठ प्रमण्डल, देवघर | 3841 | 11.087 | 3.515 | 14.602 |
| 16 | साठवाठ प्रमण्डल, हजारीबाग | 3841 | 11.087 | 3.515 | 14.602 |
| 17 | साठवाठ प्रमण्डल, कोडरमा | 3841 | 11.087 | 3.515 | 14.602 |
| 18 | साठवाठ प्रमण्डल, गढ़वा | 3328 | 9.605 | 3.045 | 12.650 |
| योग :- | | 67396 | 194.531 | 61.667 | 256.198 |


 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
 झारखण्ड, राँची

- 221 -


कार्य दर तालिका (प्रति गैबियन)

पथतट / संस्थानों आदि की भूमि पर बाँस –गैबियन में वृक्षारोपन

1. बाँस-गैबियन का आकार: 6'-6"x2'-6"x2'-6"
2. स्पेसिंग – पंक्ति से पंक्ति की दूरी – 3 मी0
– पौधे से पौधे की दूरी – 8 मी0

मजदूरी दर 221.61 प्रति मानव दिवस

| क्र० सं० | कार्य की विवरणी | इकाई | मानव दिवस (प्रति हे०) | मजदूरी, (रु०) | सामग्री प्रति हे० | कुल व्यय (रु०) | अभियुक्ति |
|----------|---|------|-----------------------|---------------|-------------------|----------------|--|
| i | ii | iii | iv | v | vi | vii | viii |
| (A) | वित्तीय वर्ष 2016-18 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) | | | | | | |
| 1 | पौधों का मूल्य, मृत पौधों के प्रतिस्थापन हेतु 20 प्रतिशत अतिरिक्त पौधों के प्रावधान के साथ स्थल पर ढुलाई सहित | | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | पौधों का क्रय विभागीय लम्बे पौधों की नर्सरी से किया जाएगा। |
| 2 | गड्ढे में डालने हेतु बालू एवं गोबर खाद का क्रय एवं मिश्रण बनाना ;1बजि बालू, बजि वर्णित कम्पोस्ट मिट्टी के साथ) | | 0.15 | 33.24 | 20.00 | 53.24 | |
| 3 | पौधारोपण (DAP-50 ग्राम तथा कीटनाशक 4 ग्राम) | | 0.10 | 22.16 | 2.00 | 24.16 | |
| 4 | तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम- 5ग्रा. युरिया5 ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: 10ग्रा. युरिया, 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीय: 5 ग्रा. युरिया, 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का बदलाव | | 0.15 | 33.24 | 4.50 | 37.74 | |
| 5 | पटवन (रिक्शा/टेला द्वारा) | | 0.50 | 110.81 | 25.00 | 135.81 | |
| 6 | सुरक्षा | | 0.50 | 110.81 | 0.00 | 110.81 | |
| 7 | साईन-बोर्ड एवं गैबियन नंबरिंग प्रति गैबियन | | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | |
| | योग | | 1.40 | 310.25 | 91.50 | 401.75 | |


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-45/15-4/680

दिनांक - 16-May

| क्रमांक | विषय कोड | एक्सेस नं० | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---------|---|------------|---|--|
| 1 | P 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - बेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी | 26423 | HZBFWL009 SUSHIL SOREN DIV. FOREST OFFICE EAST | 1,217,800.00 रुपये बारह लाख सत्रह हजार आठ स |
| 2 | P 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - बेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी | 26425 | HZBFWL005 RAJIV RANJAN D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV, HZB | 1,217,800.00 रुपये बारह लाख सत्रह हजार आठ |
| 3 | P 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - बेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी | 26426 | CTRFOR002 RAVINDRA NATH MISHRA D.F.O., NORTH DIV. CHATRA | 1,035,900.00 रुपये दस लाख पैंतीस हजार नौ स |
| | | | | 3,471,500.00 |

कुल योग: रुपये चौतीस लाख इकहत्तर हजार पाँच सौ

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं0 | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---------|---|------------|--|--|
| 4 | P 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेनन एवं भत्ते 03 - मजदूरी | 26427 | CTRFOR003 MADHUKAR D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA | 1,035,900.00 रुपये दस लाख पैंतीस हजार नौ सैं |
| 5 | P 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेनन एवं भत्ते 03 - मजदूरी | 26428 | KDMFORA01 MITHILESH KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA | 1,035,900.00 रुपये दस लाख पैंतीस हजार नौ सैं |
| 6 | P 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेनन एवं भत्ते 03 - मजदूरी | 26429 | BKRFOR001 VIJAY KUMAR D F O, BOKARO | 1,217,800.00 रुपये बारह लाख सैं त्र ह हजार आठ |
| 7 | P 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेनन एवं भत्ते 03 - मजदूरी | 26430 | HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICER | 1,217,800.00 रुपये बारह लाख सैं त्र ह हजार आठ |

योग:

4,507,400.00

वार्मिक योग:

रुपये उन्नासी लाख अठहत्तर हजार नौ सैं

7,978,900.00

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUBHAN, IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

| क्रमांक | विषय कोड | एक्सेस नं० | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---------|---|------------|--|--|
| 8 | P 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी | 26431 | DHNFOR001 SRI SOURAV CHANDRA DIVISIONAL FOREST OFFICER | 1,217,800.00 रुपये बारह लाख सत्रह हजार आठ स |
| 9 | P 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी | 26432 | GRDFOR001 KUMAR ASHISH DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV. | 1,217,800.00 रुपये बारह लाख सत्रह हजार आठ स |
| 10 | P 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी | 26433 | GRDFOR003 SRI JANARDAN PRASAD KESHRI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV. | 1,185,700.00 रुपये ग्यारह लाख पचयासी हजार स |
| 11 | P 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी | 26434 | GRHFWL001 ASHOK KUMAR DUBEY D.F.O. NORTH DIV. GARHWA | 585,800.00 रुपये पाँच लाख पचयासी हजार आठ स |

योग:

4,207,100.00

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड़ इक्कीस लाख छियासी हजार

12,186,000.00

(Signature)
16/5/2016
(SHRI.Y.K.SINGH, CHAUDHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

-217-

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं० | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---------|---|------------|--|--|
| 12 | P 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी | 26435 | GRHFWL004 SR ARVIND KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA | 763,100.00 रुपये सात लाख तीरसठ हजार एक |
| 13 | P 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी | 26436 | PLMFOR070 NARESH CHANDRA SINGH MUNDA D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV. | 1,108,700.00 रुपये ग्यारह लाख आठ हजार सात |
| 14 | P 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी | 26437 | DGRFORE88 MAMTA PRIYADARSHI DFO DEO.FOR.DIV.DEO. | 1,108,700.00 रुपये ग्यारह लाख आठ हजार सात |
| 15 | P 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी | 26438 | DGRFORE87 MANEL TUDU D.F.O. S.F.DIV.. DGR | 1,108,700.00 रुपये ग्यारह लाख आठ हजार सात |

| | |
|------------|---|
| योग: | 4,089,200.00 |
| अंशिक योग: | रुपये एक करोड बासठ लाख पचहत्तर हजार दो सौ |

(Signature)
16/5/2016

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

(Signature)
RANCHI

216-

| क्रमांक | विषय कोड | एकसेस नं० | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---------|--|-----------|--|--|
| 16 | P 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी | 26439 | HZBFWL007 SHREE BHAGWAN MISHRA, I.F.S. D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG | 1,108,700.00 रुपये ग्यारह लाख आठ हजार सात सैं |
| 17 | P 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी | 26440 | KDMFORA02 RAMESH PRASAD KAMAL D.F.O (S.F.) KODERMA | 1,108,700.00 रुपये ग्यारह लाख आठ हजार सात सैं |
| 18 | P 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी | 26441 | GRHFWL003 SHYAM BIHARI PRASAD DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW | 960,500.00 रुपये नौ लाख साठ हजार पाँच सैं |
| 19 | P 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री | 26442 | HZBFWL009 SUSHIL SOREN DIV. FOREST OFFICE EAST | 386,000.00 रुपये तीन लाख दियारस हजार |

| | | |
|-------------|--|---------------|
| योग: | | 3,563,900.00 |
| वर्गिक योग: | रुपये एक करोड अठानवे लाख उनचासीस हजार एक सैं | 19,839,100.00 |

(Signature)
SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN, IFS

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

(Signature)
RANCHI

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं0 | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---------|--|------------|---|---|
| 20 | P 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री | 26443 | HZBFWL005 RAJIV RANJAN D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV, HZB | 386,000.00 रुपये तीन लाख छियासी हजार |
| 21 | P 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री | 26444 | CTRFOR002 RAVINDRA NATH MISHRA D.F.O., NORTH DIV. CHATRA | 328,400.00 रुपये तीन लाख अठाइस हजार चार सौ |
| 22 | P 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री | 26445 | CTRFOR003 MADHUKAR D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA | 328,400.00 रुपये तीन लाख अठाइस हजार चार सौ |
| 23 | P 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री | 26446 | KDMFORA01 MITHILESH KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA | 328,400.00 रुपये तीन लाख अठाइस हजार चार सौ |

| | | | | |
|-------------|--|--|--|---------------|
| योग: | | | | 1,371,200.00 |
| क्रमिक योग: | रुपये दो करोड. बारह लाख दस हजार तीन सौ | | | 21,210,300.00 |

(SHRI.Y.K.SINGH CHAURHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

CHANCHI

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं0 | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---------|--|------------|--|---|
| 24 | P 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री | 26447 | BKRFOR001 VIJAY KUMAR D F O, BOKARO | 386,000.00 रुपये तीन लाख छियासी हजार |
| 25 | P 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री | 26448 | HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICER | 386,000.00 रुपये तीन लाख छियासी हजार |
| 26 | P 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री | 26449 | DHNFOR001 SRI SOURAV CHANDRA DIVISIONAL FOREST OFFICER | 386,000.00 रुपये तीन लाख छियासी हजार |
| 27 | P 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री | 26450 | GRDFOR001 KUMAR ASHISH DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV. | 386,000.00 रुपये तीन लाख छियासी हजार |

योग:

1,544,000.00

क्रमिक योग:

रुपये दो करोड़ सत्ताइस लाख चौपन हजार तीन सौ

22,754,300.00

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUDHAN IPS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

213

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं० | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---------|--|------------|---|---|
| 28 | P 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री | 26451 | GRDFOR003 SRI JANARDAN PRASAD KESHRI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV. | 375,900.00 रुपये तीन लाख पचहत्तर हजार नौ सैं |
| 29 | P 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री | 26452 | GRHFWL001 ASHOK KUMAR DUBEY D.F.O. NORTH DIV. GARHWA | 185,700.00 रुपये एक लाख पिचयासी हजार सात सैं |
| 30 | P 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री | 26453 | GRHFWL004 SR ARVIND KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA | 241,900.00 रुपये दो लाख इकतालीस हजार नौ सैं |
| 31 | P 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री | 26454 | PLMFOR070 NARESH CHANDRA SINGH MUNDA D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV. | 351,500.00 रुपये तीन लाख इकावन हजार पांच सैं |

योग

1,155,000.00

क्रमिक योग:

रुपये दो करोड उनचालीस लाख नौ हजार तीन सैं

23,909,300.00

(SHRI.Y.K.SINGH CHANDAN IPS)

ADDL.PCCF.DEV.JHARKHAND

BRANCHI

212

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं० | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---------|--|------------|--|---|
| 32 | P 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री | 26455 | DGRFORE88 MAMTA PRIYADARSHI DFO DEO.FOR.DIV.DEO. | 351,500.00 रुपये तीन लाख इकावन हजार पाँच |
| 33 | P 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री | 26456 | DGRFORE87 MANEL TUDU D.F.O. S.F.DIV.. DGR | 351,500.00 रुपये तीन लाख इकावन हजार पाँच |
| 34 | P 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री | 26457 | HZBFWL007 SHREE BHAGWAN MISHRA, I.F.S. D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG | 351,500.00 रुपये तीन लाख इकावन हजार पाँच |
| 35 | P 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री | 26458 | KDMFORA02 RAMESH PRASAD KAMAL D.F.O (S.F.) KODERMA | 351,500.00 रुपये तीन लाख इकावन हजार पाँच |

| | | |
|-------------|--|---------------|
| योग: | | 1,406,000.00 |
| क्रमिक योग: | रुपये दो करोड तीरपन लाख पंद्रह हजार तीन सौ | 25,315,300.00 |

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUDHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

BRANCHI

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं० | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---------|---|------------|-----------------------|-------------------------------|
| 36 | P 19 240601789590323 | 26459 | GRHFWL003 | 304,500.00 |
| | 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी | | | |
| | 01 - वानिकी | | SHYAM BIHARI PRASAD | रुपये तीन लाख चार हजार पाँच स |
| | 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | | | |
| | 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण | | DFO SOCIAL | |
| | 03 - प्रशासनिक व्यय | | FORESTRY DIV | |
| | 23 - आपूर्ति एवं सामग्री | | GARHW | |



योग:

304,500.00

क्रमिक योग:

रुपये दो करोड छप्पन लाख उन्नीस हजार आठ सौ

25,619,800.00

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN, IFS)

ADD:RCCF.DEV.JHARKHAND